राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं 6
उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय / गुणवत्ता / कला किट / 2024–25 / 11751315 दिनांक 26/11/2024

दिशा निर्देश – कला किट 2024–25

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है। वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 में फ़ाउण्डेशन लिट्रेसी न्यूमेसी अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को गतिविधि आधारित गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु कला किट के लिये राशि अनुमोदित की गई है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु सीखने को सरल, सहज, रोचक, आनन्ददायी बनाने के लिए कला किट हेतु प्रति विद्यार्थी 30 रूपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्देश्य –

- कला के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रूचि उत्पन्न करना।
- विद्यार्थियों में क्रियात्मक व सृजनात्मक कौशलों का विकास करना।
- स्वयं करके ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।

कला किट के उपयोग हेतु निर्देश –

1. शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग एवं माँ बाड़ी में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों हेतु नामांकन के आधार पर आवंटित कुल बजट में से विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) द्वारा कला किट के अन्तर्गत बच्चों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार निम्न सामग्री क्रय की जानी है–

क्र.सं.	सामग्री	विवरण
1.	कलर (स्कैच / पेन्सिल कलर एक सैट)	प्रति विद्यार्थी एक सैट
2.	पेन्सिल	03 नग
3	रबर	02 नग
4	शॉर्पनर	01 नग

उक्तानुसार क्रय की गई सामग्री विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर उपयोग ली जाये। कला किट अन्तर्गत स्क्रब बुक एवं स्कैच बुक परिषद् द्वारा पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी।

RajKaj Ref
11751315

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.11.26 08:27:03 IST
Reason: Approved

2. कला किट अन्तर्गत क्रय की गई सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित विषय अध्यापक गृहकार्य के समय ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित करें जिससे विद्यार्थी कला किट सामग्री का उपयोग घर पर भी कर सकें।
3. शाला दर्पण पोर्टल अनुसार जिलेवार भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
4. शाला दर्पण पोर्टल अनुसार कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करने वाले बालक–बालिकाओं के नामांकन के आधार पर प्रति बालक–बालिका 30/– रूपये (अक्षरे तीस रूपये) स्वीकृत हैं।
5. जिला समग्र शिक्षा कार्यालय को कला किट हेतु राशि प्राप्त होने पर अविलम्ब ब्लॉक के माध्यम से विद्यालयों को राशि जारी की जानी है। विद्यालय को प्राप्त कला किट राशि के उपयोग हेतु विषय अध्यापकों से चर्चा कर, विद्यालय प्रंबधन समिति (SMC/SDMC) में प्रस्ताव लेकर आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय की जानी है।
6. शाला दर्पण पोर्टल 2024–25 की तुलना में नामांकन कम हो गया हो तो राशि परिवर्तित नामांकन के अनुसार ही जारी करें।

कला किट हेतु प्राप्त राशि के वितरण, सामग्री क्रय एवं उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है–

1. जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से राशि एवं दिशा निर्देश प्राप्त होने पर 5 दिवस में ब्लॉक स्तर तक राशि हस्तान्तरित करना।
- कला किट राशि के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी की नियुक्ति करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
- जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय जयपुर को प्रेषित करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीईईओ के साथ सतत् रूप से कला किट के उपयोग की समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- कला किट सामग्री के विद्यालय स्तर पर क्रय करने, विद्यार्थियों को सामग्री वितरित करने एवं उनके द्वारा उपयोग की अद्यतन प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराना।

RajKaj Ref
11751315

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.11.26 08:27:03 IST
Reason: Approved

2. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- जिला कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय को कला किट की राशि प्राप्त होने की तिथि से 3 दिवस में विद्यालय स्तर तक राशि का वितरण सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
- पीईईओ/शहरी सीआरसी (यूसीईईओ) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर फीडबैक प्रदान करना।

3. पीईईओ/सीआरसी/संस्थाप्रधान के कार्य/दायित्व :

- पीईईओ/सीआरसी/विद्यालय स्तर पर कक्षावार नांमाकन के अनुसार विद्यार्थियों हेतु एसएमसी/एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर कला किट हेतु सामग्री क्रय किया जाना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों/आओ घर में सीखे कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना एवं विषय अध्यापकों/विद्यार्थियों को प्रेरित करना।
- फोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त करना।
- शिक्षकों के साथ कला किट से विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना।
- पीईईओ/सीआरसी द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के भ्रमण/अवलोकन/निरीक्षण के दौरान कला किट के उपयोग की समीक्षा व शिक्षकों को मार्गदर्शन व संबलन प्रदान करना।

4. शिक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सभी विषय में कला किट सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष/प्रार्थना स्थल/बालसभा के मंच पर प्रदर्शित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे सृजनात्मक कार्य को पोर्ट फोलियो में संधारित करना।
- विषयाध्यापक द्वारा विषय में कला किट सामग्री का उपयोग करते हुए अधिगम को रुचिकर बनाना।

RajKaj Ref
11751315

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.11.26 08:27:03 IST
Reason: Approved

- विद्यार्थियों द्वारा तैयार सामग्री को कैसे बहु विषय आधारित उपयोग किया जा सकता है इस हेतु मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना।

5. अभिभावकों से अपेक्षा :

- विद्यार्थियों को कला किट के उपयोग से सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय में शिक्षक/संस्थाप्रधान के साथ निरन्तर समन्वय बनाए रखना।

नोट–

कला किट हेतु उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय को तथा ब्लॉक कार्यालय से समेकित कर जिला कार्यालय को तथा जिला कार्यालय से समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि जारी करने के एक माह पश्चात आवश्यक रूप से परिषद् मुख्यालय को संलग्न प्रारूप में अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष–

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/कला किट/2024–25/11751315 दिनांक 26/11/2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. उपायुक्त–प्लान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
10. पीईईओ/यूसीईईओ समस्त।
11. कार्यालय प्रति।

EDU. NEWS GROUP

RajKaj Ref
11751315

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.11.26 08:27:03 IST
Reason: Approved

प्रपत्र–01

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ....

उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्र.सं.	जिले का कक्षा 1 से 5 का कुल नामांकन	जिले को प्राप्त राशि @30	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक को जारी राशि		ब्लॉक द्वारा विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग राशि	शेष राशि
				नामांकन	राशि			

प्रपत्र–02

विद्यालय स्तर

विद्यालय का नाम.................................

क्र.सं.	विद्यालय का 1–5 का नामांकन	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग राशि	शेष राशि

RajKaj Ref
11751315

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.11.26 18:27:03 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1

नामांकन

क्र. सं.	जिला	कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या (स्कूल शिक्षा, मॉंबाड़ी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग)	प्रति विद्यार्थी राशि @30 कुल राशि
1	AJMER	107054	3211620
2	ALWAR	149578	4487340
3	BANSWARA	155476	4664280
4	BARAN	65143	1954290
5	BARMER	246796	7403880
6	BHARATPUR	110264	3307920
7	BHILWARA	135378	4061340
8	BIKANER	105374	3161220
9	BUNDI	60488	1814640
10	CHITTAURGARH	73761	2212830
11	CHURU	79141	2374230
12	DAUSA	58792	1763760
13	DHAULPUR	80709	2421270
14	DUNGARPUR	112706	3381180
15	GANGANAGAR	76404	2292120
16	HANUMANGARH	62849	1885470
17	JAIPUR	142183	4265490
18	JAISALMER	56870	1706100
19	JALOR	115743	3472290
20	JHALAWAR	70966	2128980
21	JHUNJHUNU	45514	1365420
22	JODHPUR	156216	4686480
23	KARAULI	65917	1977510
24	KOTA	54810	1644300
25	NAGAUR	131616	3948480
26	PALI	97195	2915850
27	PRATAPGARH	74360	2230800
28	RAJSAMAND	74337	2230110
29	S. MADHOPUR	57502	1725060
30	SIKAR	70014	2100420
31	SIROHI	68504	2055120
32	TONK	52791	1583730
33	UDAIPUR	223302	6699060
	कुल योग	**3237753**	**97132590**

RajKaj Ref
11751315

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.11.26 08:27:03 IST
Reason: Approved